राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1571 / SEIAA/2022
Date: 9/9/22

प्रति,
कलेक्टर,
जिला खरगौन (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क्र 9215/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी पहाड़सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में *SEAC* समिति की 590वी बैठक दिनांक 27.08.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 745 वी बैठक दिनांक 05.09.2022 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के मध्य भाग में एक कच्चा रास्ता (प्रब्लिक रोड़) एवं 10 मीटर पर पक्का रोड़ परिलक्षित हो रहा है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके परिपालन में पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः जिला कलेक्टर खरगौन से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि 10 मीटर पर उक्त परिलक्षित मार्ग पक्का निर्मित है अथवा नहीं, इसके साथ ही प्रस्तावित खदान के मध्यभाग में परिलक्षित कच्ची सड़क (पब्लिक रोड़) का नियमानुसार मापदण्डों के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में भी मानचित्र सहित अभिप्रमाणित जानकारी भी प्रस्तुत की जावे। तदोपरांत प्रकरण पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, प्रस्तावित खदान सें 10 मीटर पर परिलक्षित मार्ग पक्का निर्मित है अथवा नहीं, तथा खदान के मध्यभाग में परिलक्षित कच्ची सड़क (पब्लिक रोड़) का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में मानचित्र सहित अभिप्रमाणित जानकारी 15 दिवस में प्राधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1572/SEIAA/2022 दिनांक – 9/9/22

प्रतिलिपिः–

श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी पहाड़सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.)

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी